



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांक: प.(356)/जरारासंवि/संस्था/23/

दिनांक: / / 2023

1. डॉ. एम.एस. वैष्णव, सेवानिवृत्त वित्तीय सलाहकार
डी-182, गौरव टावर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर-302017 मो. 9314500414
2. श्री के.सी.डी. माथुर, सेवानिवृत्त उपशासन सचिव, सचिवालय,
राज. जयपुर, 80बी, चाणक्यपुरी विस्तार, सात नम्बर चौराहे के पास, जगतपुरा,
जयपुर-302017, मो. 7568691188
3. श्री भवानी शंकर शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य लेखाधिकारी वित्त (GRT-SPPC) विभाग, जयपुर,
निवास-12 तालकटोरा, ईश्वरी सिंह जी की छतरी के पास, जयपुर-302002, मो.
9414047422

विषय- कार्यपरिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 के बिन्दु संख्या 72-11 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय के पूर्व में तैयार सेवा नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अद्यतन करने तथा विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अधिनियमों में राजस्थान राज्य में पिछले कुछ वर्षों में नवीन अस्तित्व में आये विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/परिनियमों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने के कार्य सम्पादन बाबत प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 के निर्णय संख्या 72-11 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय के पूर्व में तैयार सेवा नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अद्यतन करने तथा विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अधिनियमों में राजस्थान राज्य में पिछले कुछ वर्षों में नवीन अस्तित्व में आये विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/परिनियमों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने के कार्य सम्पादन कराया जाना है।

आप विशेषज्ञ समूह से प्राप्त सहमति के क्रम में विश्वविद्यालय उपापन समिति की बैठक दिनांक 23.06.2023 में लिये गये

निर्णय के अनुसार आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 17(क) के अन्तर्गत कृपया कार्यपरिषद् 72वीं बैठक के बिन्दु संख्या 72-11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्य संपादित करने हेतु आपसे प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव पर उपापन समिति के द्वारा दूरभाष पर नेगोशियेशन किया गया एवं समस्त कार्य हेतु आप द्वारा समेकित राशि 4,50,000/(अक्षरे रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) पर अपनी सहमति प्रदान की गई। उपापन समिति उक्त नेगोशियन दर को उचित मानते हुए विशेषज्ञ समूह से कार्य कराये जाने की अभिशंषा करती है। उक्त विशेषज्ञ समूह सम्पूर्ण कार्य स्वयं के स्रोत से ही सम्पन्न करायेंगे, विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा यथा-वाहन, कार्मिक, संविदा कार्मिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। उक्त के क्रम में अपनी सहमति से अवगत करावे ताकि शीघ्र ही कार्यादेश जारी किया जा सके।

भवदीय

-sdh

कुलसचिव

क्रमांक: प.(356)/जरारासंवि/संस्था./23/2513

दिनांक:- 15/7/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 कम्प्यूटर प्रोग्रामर, जरारासंवि, जयपुर को प्रति SPPP Portal पर अपलोड हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव